प्रेस नोट ***दिनांक 29.10.2025***

01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नतृत्व में दिनांक 29.10.2025 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान नदवासराय अण्डरपास के पास मु0अ0स0 मु0अ0सं0 525/25 धारा 3/25 आर्म एक्ट से संबंधित अभियुक्त योगेन्द्र राजभर पुत्र अभिराज निवासी पकड़ा बुर्जग थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, बरामद कर गिरफ्तार किया गया व चालान न्यायालय किया गया ।

अभियुक्त का विवरण –

1. योगेन्द्र राजभर पुत्र अभिराज निवासी पकड़ा बुर्जग थाना घोसी जनपद मऊ ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 मु0अ0सं0 525/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी –

1. 01 अदद अवैध तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आकाश श्रीवास्तव थाना घोसी जनपद मऊ।
2. उ0नि0 दिवाकर राना थाना घोसी जनपद मऊ।
3. हे0का0 मनोज कुमार यादव थाना घोसी जनपद मऊ।
4. हे0का0 जितेन्द्र यादव थाना घोसी जनपद मऊ।
5. का0 अर्जन राय थाना घोसी जनपद मऊ।

03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त राम सिंह चौहान पुत्र राम विलास निवासी भिखारी थाना घोसी जनपद मऊ, थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त बहादुर कोहार पुत्र भुलई कोहार निवासी अस्तूपुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ व थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वांरटी अभियुक्त रामदरश पुत्र श्रीराम चौहान निवासी टिकरहिया फैजुल्लाहपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 1दिन का साधारण कारावास की सजा एवं ₹2200 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ACJM/FTC कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 29.10-2025 को 598/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 188 भादवी थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त जैसराज पुत्र स्व० सुखारी निवासी भुवालीपुर थाना मधुवन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 01 दिवस की साधारण कारावास की सजा एवं ₹2200 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹2000 के अर्थदंड से हुया दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 29-10-2025 को मु0अ0सं0 262a/2004 धारा 323/325/336/504/506 भादवी थाना हलधरपुर में दोषसिद्ध राजेश पुत्र छोटेलाल निवासी रतनपुरा सिंहबल थाना हलधरपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में

बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।